2.11.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उप०। पार्टी
उम्मेद सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० अ० धारा
110,128 एल आर एक्ट को स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित
करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी